Jana Small Finance Bank
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

व्यावसायिक अनुसूची
(स्वीकृति शर्त)

समूह ऋण आवेदन नंबर		**बैठक केंद्र का नाम:**	
बैठक केंद्र के लीडर का सीआरएन न.		**शाखा**	
ईएमआई (आवृत्ति, राशि और नंबर)	**पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार**	**अवधि**	___________ **महीने।**
दंडात्मक शुल्क		**दस्तावेज का शुल्क**	________
प्रक्रिप्रोसेसिंग शुल्क & पोर्टफोलियो कमिशन (यदि कोई हो) ***यदि स्वीकृत राशि ₹.50000 से अधिक हो***		**पुनर्भुगतान का तरीका**	**स्वीकृत पत्र के अनुसार।**
निष्पादित करने का स्थान		**निष्पादित करने की तिथि**	

संयुक्त दायित्व समूह के लिए ऋण अनुबंध सह समूह गारंटी

संयुक्त दायित्व समूह के लिए यह ऋण सह समूह गारंटी समझौता ("समझौता") निम्नलिखित के बीच, संलग्न व्यावसायिक अनुसूची में निर्दिष्ट स्थान और तिथि पर बनाया और हस्ताक्षरित किया गया है:

समूह में वे सदस्य जो अनुसूची I में उल्लिखित अनुसार संयुक्त दायित्व समूह बनाने के लिए एकजुट हुए हैं (व्यक्तिगत रूप से "उधारकर्ता" और साथ में उधारकर्ता/समूह/समूह सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब तक कि सामग्री में अन्यथा आवश्यक न हो, "उधारकर्ता" शब्द की व्याख्या उनके संबंधित उत्तराधिकारी, नियुक्त वकील और अधिकृत असाइनी को शामिल करने के लिए की जाएगी।)

इनके पक्ष में

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक कंपनी है और इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक छोटे वित्त बैंक के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। इसका पंजीकृत कार्यालय फेयरवे बिजनेस पार्क, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/B, डोम्लूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, दूतावास गोल्फ लिंक के पास, चैलाघट्टा, बैंगलोर - 560 071 में स्थित है। इसके साथ संलग्न व्यावसायिक अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर इसका एक शाखा कार्यालय भी है, और इसके बाद इसे **"बैंक"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा। जब तक कि सामग्री में अन्यथा आवश्यक न हो, "बैंक" शब्द की व्याख्या, इसके उत्तराधिकारी, नियुक्त वकील और अधिकृत असाइनी को शामिल करने के लिए की जाएगी।

जबकि:

a) उधारकर्ता ने एक समूह बनाया है और समूह ऋण सुविधा ("सुविधा") प्रदान करने के लिए बैंक से संपर्क किया है।
b) प्रत्येक उधारकर्ता के अनुरोध पर, बैंक ने अन्य समूह सदस्यों की जमानत के आधार पर प्रत्येक उधारकर्ता को अनुसूची I में निर्दिष्ट राशि के लिए सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि (a) सुविधा दस्तावेजों और इस अनुबंध के निष्पादन, और (b) सुविधा दस्तावेजों और इस अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर निर्भर है।
c) सुविधा के संबंध में सभी व्यावसायिक विवरण यहाँ संलग्न व्यावसायिक अनुसूची में दिए गए हैं।

1. **परिभाषाएँ:**

a) "ईएमआई" का तात्पर्य उन आवर्ती भुगतानों से है, जिनकी गणना बैंक सुविधा के संबंध में समय-समय पर करता है (जिन्हें अगले रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है)

b) "देय तिथि" शब्द उस तिथि(तिथियों) को संदर्भित करता है जब सुविधा से संबंधित कोई भी राशि उधारकर्ताओं द्वारा बैंक को भुगतान की जानी चाहिए।

c) "सुविधा दस्तावेज" से तात्पर्य आवेदन प्रपत्र, स्वीकृति प्रपत्र, इस समझौते, तथा अन्य सभी समझौतों, उपकरणों, वचनों, अनुबंधों, कार्यों, लेखों और अन्य दस्तावेजों से है, जो उधारकर्ताओं और बैंक द्वारा सुविधा और सुविधा दस्तावेजों के अंतर्गत परिकल्पित लेन-देन के संबंध में निष्पादित या किए गए हैं या निष्पादित या किए जाने हैं, जिनमें उनमें किए गए सभी संशोधन और बदलाव भी शामिल हैं।

d) "गारंटर" से तात्पर्य (a) प्रत्येक उधारकर्ता के पति/पत्नी और/या उनके परिभाषित रक्त संबंधियों (एकल/विधवा/तलाकशुदा उधारकर्ताओं के लिए) से है, जैसा कि अनुसूची। A में विशेष रूप से सूचीबद्ध है और (b) प्रत्येक समूह सदस्य से है, जैसा कि अनुसूची। B में विस्तृत रूप से सूचीबद्ध है।

e) "आरबीआई" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक होगा।

2. **समूह गारंटी:**

a) उधारकर्ता और गारंटर (जैसा कि अनुसूची। B में उल्लिखित है) इस बात पर सहमत हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनमें से प्रत्येक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से प्रत्येक समूह सदस्य द्वारा प्राप्त सुविधा के उचित पुनर्भुगतान की गारंटी देगा, भले ही सुविधा किसी समूह सदस्य को संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से वितरित की गई हो। ("समूह गारंटी")। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक समूह सदस्य अपनी सुविधा के संबंध में उधारकर्ता के रूप में और अन्य समूह सदस्यों द्वारा प्राप्त सुविधा के संबंध में गारंटर के रूप में कार्य करता है।

b) सभी उधारकर्ता और सभी गारंटर (जैसा कि अनुसूची। बी में उल्लिखित है) व्यक्तिगत रूप से सुविधा को चुकाने के लिए सहमत हैं और इस प्रकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें इस लेन-देन के बारे में पूरी जानकारी है।

c) इसके अलावा, सभी उधारकर्ता और गारंटर यह समझते हैं और सहमत हैं कि यदि बैंक किसी भी कारण से सुविधा को रद्द करता है, वापस लेता है या समाप्त करता है, तो देय राशि तुरंत देय हो जाएगी। यदि कोई समूह सदस्य आवश्यक भुगतान करने में विफल रहता है, तो सभी उधारकर्ता और गारंटर (जैसा कि अनुसूची। बी में उल्लिखित है) सुविधा की कुल बकाया राशि को चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

d) सभी उधारकर्ता और गारंटर (जैसा कि अनुसूची। B में उल्लिखित है) इस बात पर सहमत हैं कि जब तक प्रत्येक समूह सदस्य द्वारा सुविधा का पूर्ण पुनर्भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक न तो उधारकर्ता और न ही गारंटर किसी भी तरह से इस समझौते के तहत अपने दायित्वों से मुक्त होंगे, यहाँ तक कि सुविधा के किसी भी पूर्व-बंद, पूर्व भुगतान या वापसी के साथ भी।

3. **ब्याज की दर:**

a) उधारकर्ता संलग्न व्यावसायिक अनुसूची में उल्लिखित नियत तिथि पर निर्दिष्ट ब्याज दर ("ब्याज") पर सुविधा पर ब्याज का भुगतान करेंगे।

b) उधारकर्ताओं को जो ब्याज देना होगा वह आरबीआई के दिशानिर्देशों और/या निर्देशों के अनुसार परिवर्तनों से प्रभावित होगा, जिन्हें बैंक को लागू करना आवश्यक है।

c) बैंक ब्याज दर या यहाँ उल्लिखित किसी भी शर्त से संबंधित किसी भी परिवर्तन के बारे में उधारकर्ता को एक नोटिस प्रकाशित करके सूचित करेगा। यह नोटिस बैंक की शाखा के नोटिस बोर्ड पर या बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा, और इसे उधारकर्ता को परिवर्तनों का पर्याप्त नोटिस माना जाएगा।

d) ब्याज दर 365/366 दिनों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो भी लागू हो।

4. **पुनर्भुगतान:**

a) उधारकर्ताओं को अपनी संबंधित पुनर्भुगतान अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सुविधा और देय ब्याज को जल्दी से चुकाना होगा। ("पुनर्भुगतान अनुसूची") उधारकर्ताओं के लिए इसे आसान बनाने के लिए, बैंक ने सहमति व्यक्त की है कि अधिकृत बैंक अधिकारी आंशिक या पूर्ण रूप से ईएमआई एकत्र करने के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में निर्दिष्ट तिथियों पर उधारकर्ताओं से मिल सकते हैं।

b) बैंक पुष्टि करता है, और उधारकर्ता भी समझते हैं कि पहली ईएमआई देय से पहले प्रारंभिक अवधि के दौरान स्थगन होगा। नतीजतन, यदि सुविधा संबंधित महीने के 7वें दिन के बाद वितरित की जाती है, तो उधारकर्ता को अगले महीने के लिए स्थगन मिलेगा, और पहली किश्त स्थगन समाप्त होने के बाद महीने के अंतिम दिन देय होगी। उदाहरण के लिए, यदि संवितरण तिथि 15 अक्टूबर है, तो पहली किश्त 31 दिसंबर को देय होगी। इस स्थगन अवधि के लिए लागू ब्याज मूल राशि में जोड़ा जाएगा।

c) उधारकर्ताओं के पास सुविधा की अवधि के दौरान हर साल दो ईएमआई तक का स्थगन लेने का विकल्प होता है ("भुगतान अवकाश")। भुगतान अवकाश चुनना उधारकर्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है, और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए अलग से अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। बैंक अपनी नीतियों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर किसी भी उधारकर्ता को भुगतान अवकाश दे सकता है। जब कोई उधारकर्ता भुगतान अवकाश विकल्प चुनता है, तो उसका पुनर्भुगतान शेड्यूल तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

d) उधारकर्ता और गारंटर इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने ईएमआई की गणना करने की बैंक की प्रक्रिया और उन राशियों को मूल राशि और ब्याज में विभाजित करने की विधि को पढ़ लिया है, समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है।

e) यदि उधारकर्ता और गारंटर संबंधित देय तिथि पर बकाया राशि का भुगतान/पुनर्भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उधारकर्ता और गारंटर व्यावसायिक अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर बकाया राशि पर दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के लिए, यदि देय तिथि हर महीने की दूसरी तारीख है और उधारकर्ता और गारंटर महीने की 30 तारीख को ईएमआई का भुगतान करते हैं, तो बैंक 3 तारीख से शुरू होकर उस विशेष महीने की 30 तारीख तक दंडात्मक शुल्क लगाएगा।

f) किसी भी समूह सदस्य द्वारा चूक की स्थिति में, प्रत्येक उधारकर्ता को उस चूककर्ता समूह सदस्य द्वारा देय किसी भी या सभी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

g) यह स्पष्ट किया गया है कि दंडात्मक शुल्क लगाना बैंक के सुविधा दस्तावेजों के अंतर्गत प्राप्त अन्य अधिकारों के समान है, और बैंक इस समझौते, सुविधा दस्तावेजों और लागू कानून के अंतर्गत अपने सभी अधिकारों को बरकरार रखता है।

5. <u>उधारकर्ता के खाते का वर्गीकरण:</u>

a) सुविधा के तहत किसी भी भुगतान में चूक की स्थिति में, बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुसार उधारकर्ता(ओं) के खातों को वर्गीकृत करेगा। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ता(ओं) के खातों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर विशेष उल्लेख खाते (SMA) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

सावधि ऋण सुविधा	
वर्ग	वर्गीकरण के लिए आधार - मूल राशि या ब्याज या कोई अन्य राशि जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देय है
SMA-0	30 दिन तक
SMA-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
SMA-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक

b) इसके अलावा, उधारकर्ता(ओं) के खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ("NPA") के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि: (i) ब्याज और/या मूल राशि की किश्त उस सुविधा के लिए 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है जिसे सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (ii) ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के रूप में वर्गीकृत सुविधा के संबंध में बकाया राशि लगातार 90 दिनों के लिए स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक है।

c) यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता(ओं) के खातों का एसएमए और एनपीए में वर्गीकरण लागू तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के दौरान होगा, और एसएमए या एनपीए के लिए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिस दिन दिन के अंत की प्रक्रिया आयोजित की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, SMA/NPA तिथि उस कैलेंडर तिथि के अंत तक खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति दिखाएगी।

d) उदाहरण के लिए: यदि सुविधा खाते की देय तिथि 31 मार्च 2022 है, और बैंक द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया निष्पादित करने से पहले पूर्ण देय भुगतान प्राप्त नहीं होते हैं, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी। यदि सुविधा अतिदेय बनी रहती है, तो 30 अप्रैल 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया निष्पादित किए जाने के बाद खाते को एसएमए-1 के रूप में नामित किया जाएगा, यानी लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर। इस प्रकार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण तिथि 30 अप्रैल 2022 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो 30 मई 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया निष्पादित किए जाने के बाद इसे SMA-2 के रूप में नामित किया जाएगा, और यदि यह इस तिथि से आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया के बाद NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

6. <u>भुगतान का तरीका:</u>

a) इस सुविधा का पुनर्भुगतान उधारकर्ताओं और गारंटरों द्वारा व्यावसायिक अनुसूची में उल्लिखित किसी भी तरीके से किया जा सकता है।

b) स्थायी अनुदेश ("SI") के माध्यम से पुनर्भुगतान की स्थिति में, उधारकर्ता बैंक को ईएमआई के लिए अपने बैंक खाते (जैसा कि व्यावसायिक अनुसूची में दिया गया है) से धन निकालने की अनुमति देता है।

c) सुविधा के बकाया रहने तक उधारकर्ता को अपने द्वारा चुने गए भुगतान के तरीके के संबंध में भुगतान रोकने का निर्देश रद्द करने या जारी करने की अनुमति नहीं है। उधारकर्ता द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई उधारकर्ता के विरुद्ध आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का कृत्य मानी जाएगी। साथ ही, बैंक को उधारकर्ता के विरुद्ध उचित आपराधिक कार्यवाही करने का अधिकार है, जिसमें 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम और 1860 के भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही शामिल हो सकती है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

7. <u>पूर्व-भुगतान</u>

a) बशर्ते कि लागू पूर्वभुगतान शुल्क का भुगतान किया गया हो (यदि लागू हो), उधारकर्ताओं को इस तरह के पूर्व-बंद होने के समय मूल राशि, किसी भी ब्याज और किसी भी अन्य बकाया लागत और शुल्क का भुगतान करके समय से पहले सुविधा को बंद करने का अधिकार होगा। शेष अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. **उधारकर्ता के वचन:**

उधारकर्ता और गारंटर वचन देते हैं कि:

a) सुविधा से प्राप्त धनराशि का उपयोग उनके द्वारा केवल व्यावसायिक अनुसूची में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सुविधा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
b) इस सुविधा का उपयोग किसी भी परिस्थिति में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा: (i) किसी भी शेयर या प्रतिभूतियों की खरीद या सदस्यता लेने के लिए; (ii) अचल संपत्ति कारोबार, पूंजी बाज़ार या भूमि खरीद में निवेश करने के लिए; (iii) सट्टा लेन-देन या गतिविधियों में शामिल होने के लिए; या (iv) ऐसी गतिविधियों का संचालन करने के लिए जो आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण सुविधाओं के लिए पात्र नहीं हैं; और/या (v) किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए जो किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करता हो।
c) वे उसी गांव, क्षेत्र या पड़ोस में रहेंगे और इस समझौते की अवधि तक वहीं रहेंगे।
d) वे समूह के संविधान के किसी भी पहलू में परिवर्तन नहीं करेंगे तथा समूह के भीतर सद्भाव बनाए रखेंगे।
e) वे समझते हैं कि बैंक समूह के दैनिक कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।
f) यदि बैंक उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित करता है, तो उधारकर्ता और गारंटर उसमें प्रसन्नतापूर्वक और सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
g) वे बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा अन्य सभी प्रासंगिक कानूनों और उसके बाद होने वाले किसी भी संशोधन या पुनः अधिनियमन में निर्धारित विनियमों का पालन करेंगे।
h) कोई भी उधारकर्ता बैंक के किसी भी अधिकारी का करीबी रिश्तेदार नहीं है।
उन्होंने इस समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों, सुविधा दस्तावेजों और www.janabank.com ("वेबसाइट") पर उपलब्ध सुविधा और संबंधित सेवाओं के बारे में अन्य सभी प्रासंगिक नियमों और शर्तों को पढ़ा है, समझा और उनसे सहमत हैं। बैंक इन नियमों और शर्तों में कोई भी अपडेट वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकता है। उधारकर्ता और गारंटर सहमत हैं कि वेबसाइट पे नियमित रूप से नज़र रख कर ऐसे किसी भी संशोधन या अपडेट के बारे में जानकारी रखना उनकी ज़िम्मेदारी है।

9. **प्रक्रिया शुल्क और जीएसटी:**

a) यदि प्रासंगिक हो, तो उधारकर्ता स्वीकृति पत्र और यहाँ शामिल व्यावसायिक अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर एकमुश्त, गैर-वापसीयोग्य प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। यह प्रक्रिया शुल्क संवितरण के समय काट लिया जाएगा, और उधारकर्ताओं को शेष राशि प्राप्त होगी।
b) सभी लागू शुल्कों और फीस (जहां भी जीएसटी लागू है) के लिए प्रासंगिक दरों के अनुसार जीएसटी लागू किया जाएगा।

10. **चूक की घटना:**

इस समझौते के तहत चूक की घटनाएँ निम्नलिखित हैं ("चूक की घटना") :

a) इस समझौते में निर्दिष्ट अनुसार किसी भी उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बकाया राशि (या उसका एक भाग) या बैंक को देय किसी भी अन्य देय राशि को चुकाने में चूक।
b) इस समझौते और सुविधा दस्तावेजों में उल्लिखित किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, संधि, वचन या दायित्वों का उल्लंघन/पूरा करने में विफलता (दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या उन्हें ठीक से निष्पादित करने में विफलता सहित), या किसी भी उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन, यदि बैंक द्वारा इसे प्रमुख माना जाता है।
c) यदि कोई भी उधारकर्ता या गारंटर किसी भी ऋण या वैधानिक करों और बकाया राशि का भुगतान करने में चूक करता है, या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता करता है, या अपने अन्य ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता स्वीकार करता है।
d) इस अनुबंध और सुविधा दस्तावेजों में उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति उधारकर्ताओं, गारंटरों या बैंक के लिए अमान्य या गैरकानूनी हो जाती है।
e) कोई भी घटना जो समय के साथ संभावित रूप से चूक की घटना बन सकती है।

11. **चूक की घटना के परिणाम:**

यदि कोई चूक की घटना घटती है, तो बैंक अपने विशेष विवेक से, इस समझौते के तहत किसी भी अन्य अधिकार और दावे से समझौता किए बिना, निम्नलिखित अधिकारों में से किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है:

a) सुविधा दस्तावेज और यह समझौता रद्द करना
b) सुविधा को तत्काल देय और भुगतान योग्य घोषित करना

c) चूक की घटना घटित होने के समय से लेकर चूक की घटना का समाधान होने तक बकाया शेष राशि पर दंडात्मक शुल्क लगाना।

d) प्रासंगिक कानून के अंतर्गत बैंक को प्राप्त किसी भी अतिरिक्त अधिकार या उपचार का उपयोग करना।

12. <u>बीमा:</u>

a) उधारकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि उनके पास स्वयं या अपने पति/पत्नी, या नामित रक्त संबंधियों (एकल/विधवा/तलाकशुदा उधारकर्ताओं के मामले में), या दोनों का, स्वीकृत ऋण राशि के विरुद्ध ऋण अवधि के बराबर अवधि के लिए बीमा कराने का विकल्प है।

b) यदि यह बीमा चुना जाता है, तो प्रीमियम राशि संवितरण के समय स्वीकृत राशि से घटा दी जाएगी, तथा शेष राशि उधारकर्ता को बैंक में उनके खाते में दे दी जाएगी।

c) उधारकर्ता और गारंटर यह समझते हैं कि बीमा एक तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया उत्पाद है, और बैंक उनके द्वारा चुनी गई बीमा पॉलिसी के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है। उधारकर्ता और गारंटर यह भी स्वीकार करते हैं कि स्वेच्छा से चुने गए बीमा से संबंधित दावों को बीमा कंपनी के विवेक पर ही संभाला जाएगा, और न तो बैंक और न ही उसके अधिकारी इन दावों के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार होंगे।

13. **<u>क्षतिपूर्ति:</u>**

a) उधारकर्ता और गारंटर बैंक और उसके निदेशकों, अधिकारियों और एजेंटों को किसी भी प्रकार के और सभी लागतों, खर्चों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दावों, देनदारियों, माँगों और/या दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति और सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिसमें इस समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों की शर्तों के उल्लंघन और उधारकर्ताओं या गारंटरों द्वारा की गई चूक या कमीशन के कृत्यों या सुविधा से अन्यथा संबंधित किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के दावे शामिल हैं।

14. <u>खुलासा और संबंधित उत्पाद की बिक्री:</u>

a) उधारकर्ता और गारंटर बैंक को सुविधा से संबंधित किसी भी जानकारी को (i) आरबीआई; (ii) क्रेडिट सूचना कंपनियों/ब्यूरो और सूचना उपयोगिताओं; (iii) किसी भी सरकारी / नियामक / वैधानिक प्राधिकरण; (iv) अन्य वित्तीय संस्थानों और उद्योग समूहों; (v) बैंक की सहयोगी और संबद्ध कंपनियों; और (vi) सेवा प्रदाताओं, संभावित असाइनी, और प्रासंगिक तीसरे पक्ष के साथ यहाँ प्रदान की गई सुविधा की सेवा के उद्देश्य के लिए साझा करने की अनुमति देते हैं।

b) उधारकर्ता और गारंटर इस बात पर भी सहमत हैं कि बैंक, आरबीआई और/या कोई भी क्रेडिट ब्यूरो, सूचना उपयोगिताएँ, या कोई भी सरकारी / नियामक / वैधानिक प्राधिकरण उधारकर्ता की चूक के विवरण को ऐसे डेटा के साथ सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर सकता है, जो प्रासंगिक कानूनों के अधीन है।

c) सुविधा के संबंध में समय-समय पर संशोधित और लागू संहिता के तहत तैयार प्रासंगिक विनियमों के अनुसार, उधारकर्ता और गारंटर विशेष रूप से बैंक को विफलता और दिवालियापन संहिता, 2016 ("कोड") की धारा 3(13) में परिभाषित "वित्तीय जानकारी" का खुलासा किसी भी "सूचना उपयोगिता" ("आईयू") को, संहिता के तहत तैयार प्रासंगिक विनियमों और बैंकों को आरबीआई के आवधिक निर्देशों के अनुसार संहिता की धारा 3(21) में परिभाषित अनुसार, करने के लिए सहमति देते हैं। वे विशेष रूप से बैंक द्वारा प्रस्तुत "वित्तीय जानकारी" को तुरंत प्रमाणित करने के लिए भी सहमत हैं, जब भी संबंधित "आईयू" द्वारा इसका अनुरोध किया जाता है।

d) उधारकर्ता और गारंटर बैंक द्वारा निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं और तीसरे पक्षों को प्रासंगिक कानूनों के अनुसार बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बेचने के उद्देश्य से उन तक पहुँचने की अनुमति देते हैं।

e) यदि लागू हो, तो उधारकर्ता बैंक को उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। इस मामले में, उधारकर्ता बैंक को उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए भी सहमत होता है।

15. **<u>प्रतिनिधि बनाने का अधिकार</u>**

a) बैंक को अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से या अपने कर्मचारियों के माध्यम से पूरा करने का अधिकार है, और यह बैंक द्वारा चुने गए एक या अधिक व्यक्तियों ("सेवा प्रदाता") को नियुक्त करने का विकल्प चुन सकता है। यह सुविधा दस्तावेजों में उल्लिखित अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को इन सेवा प्रदाताओं को सौंप सकता है। इसमें बैंक की ओर से उधारकर्ताओं से किसी भी बकाया राशि को इकट्ठा करने और सभी कानूनी कृत्यों, कार्यों, मामलों और संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक संग्रह एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल है।

b) यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए ज़िम्मेदार होगा तथा उधारकर्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने में सहायता करेगा।

c) उधारकर्ता बैंक के कॉल सेंटर 1800 2080 (24/7 उपलब्ध), 1800 4200 (सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक) पर संपर्क कर सकते हैं, या वे <u>customercare@janabank.com</u> पर ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा, अगर उधारकर्ता कॉल सेंटर से प्राप्त प्रतिक्रिया से नाखुश हैं, तो वे आगे की सहायता के लिए बैंक के नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

16. **सौंपना:**

a) उधारकर्ता और गारंटर यह स्वीकार करते हैं कि बैंक उधारकर्ताओं, किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, संग्रह एजेंसी/एजेंसियों, या संस्था/संस्थाओं को कोई नोटिस दिए बिना इस समझौते के तहत सुविधा या किसी भी अधिकार को बेच सकता है, सौंप सकता है या सुरक्षित कर सकता है। इसके अलावा, उधारकर्ता और गारंटर इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं को बकाया सुविधा राशि चुकाने के लिए सहमति देते हैं।

b) न तो उधारकर्ताओं और न ही गारंटरों को इस समझौते में उल्लिखित अपने किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्व को सौंपने या हस्तांतरित करने की अनुमति है।

17. **समायोजन:**

a) बैंक के पास वर्तमान और भविष्य की किसी भी प्रकार और प्रकृति की जमाराशियों या उधारकर्ताओं या गारंटरों के किसी भी खाते में शेष राशि पर, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हों या संयुक्त रूप से, किसी भी अन्य ग्रहणाधिकार या समायोजन की परवाह किए बिना ग्रहणाधिकार और समायोजन का प्राथमिक अधिकार होगा। इसके अलावा, यह किसी भी धन, प्रतिभूतियों, बॉन्ड और अन्य परिसंपत्तियों, दस्तावेजों और संपत्तियों पर लागू होता है जो बैंक के नियंत्रण में/ उसके द्वारा रखे जाते हैं, इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी बकाया राशि की कुल राशि तक। बैंक को उधारकर्ताओं या गारंटरों को किसी भी पूर्व सूचना के बिना ऐसे समायोजन या ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा। इस संबंध में बैंक का अधिकार उधारकर्ता या गारंटरों के वित्तीय संकट या दिवालियापन से प्रभावित नहीं होगा।

18. **शासित कानून और अधिकार क्षेत्र:**

(a) इस समझौते पर भारतीय कानून लागू होंगे।

(b) सुविधा से संबंधित या सुविधा दस्तावेजों की व्याख्या, वैधता, कार्यान्वयन या प्रभाव से संबंधित या इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित या सुविधा दस्तावेजों के किसी कथित उल्लंघन या सुविधा दस्तावेजों के संबंध में किसी कार्रवाई या चूक से संबंधित उधारकर्ताओं, गारंटरों और बैंक से जुड़े सभी विवादों का समाधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार बेंगलुरु में होने वाली मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, और इन विवादों को बैंक द्वारा चुने गए एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और इसमें शामिल सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता अंग्रेज़ी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता से जुड़ी लागत उधारकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी।

(c) इस दस्तावेज में बताए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद, बैंक किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य उपयुक्त मंच में किसी भी समय सुविधा से संबंधित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे बैंक उचित समझता है। उधारकर्ता और गारंटर इस अधिकार क्षेत्र से सहमत हैं।

19. **इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर:**

(a) उधारकर्ता और गारंटर इस बात पर सहमत होते हैं कि यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किया जा सकता है, जिसे सभी उद्देश्यों के लिए एक मूल सिग्नेचर माना जाएगा और इसका वही प्रभाव और बल होगा जैसा कि स्याही से किया गया सिग्नेचर।

(b) इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का उपयोग इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि पार्टियाँ इस समझौते या अन्य संबंधित दस्तावेज़ से कानूनी रूप से बंधी रहने का इरादा रखती हैं, भारतीय कानूनों के तहत वैधता, लागू होने और स्वीकार्यता के उद्देश्य से।

(c) उधारकर्ता और गारंटर यह पुष्टि करते हैं कि उधारकर्ता और गारंटर द्वारा उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3A के तहत एक वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(d) बैंक अपनी प्रणाली से इस समझौते की भौतिक प्रतियाँ उत्पन्न कर सकता है या अपनी इच्छा के अनुसार इस समझौते को किसी अन्य रूप में प्रस्तुत कर सकता है और यह उधारकर्ता और गारंटर पर पूरी तरह से बाध्यकारी होगा।

(e) उधारकर्ता और गारंटर को बैंक द्वारा उत्पन्न की गई ऐसी प्रतियों पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगी, जो किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य स्थान पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएं, ताकि उधारकर्ता, गारंटर और बैंक के बीच स्वीकृति/अमल और शर्तों का प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

अनुसूची I

उधारकर्ता और सुविधा का विवरण

उधारकर्ता का नाम	पता	वितरित राशि	ब्याज की दर	उद्देश्य	बीमा चुना गया (हाँ/नहीं)	बीमा प्रीमियम

अनुसूची I A

गारंटर का विवरण

उधारकर्ता का नाम	**गारंटर का नाम**	**उधारकर्ता के साथ संबंध**	**पता**	**उद्देश्य**	**बीमा चुना गया (हाँ/नहीं)**	**बीमा प्रीमियम**

अनुसूची I B

गारंटर का विवरण

उधारकर्ता का नाम	**गारंटर के नाम**

(अनुसूची I A के अनुसार) उधारकर्ता 1 और गारंटर 1 के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	(अनुसूची I A के अनुसार) उधारकर्ता 2 और गारंटर 2 के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	(अनुसूची I A के अनुसार) उधारकर्ता 3 और गारंटर 3 के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ISFB